

पत्रांक-577/10(1)व्यग-अधि0-उ0/20

दिनांक-21/10/2020।

कार्यालय ज्ञाप

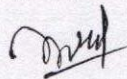
उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के ज्ञाप सं0-226/10(1)व्यग-अधि0-उ0/18 दिनांक 13.07.2020 द्वारा खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में दिनांक 24.12.2014 से 03.01.2017 तक नियुक्त कनिष्ठ सहायकों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची क्रमांक-1111 से 1324 जारी की गयी थी। उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-1182 पर अंकित श्रीमती भगवती मेहरा, कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति तिथि 19.05.2015 के स्थान पर त्रुटिवश 15.05.2015 गलत टंकित हो गया था। जबकि अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लो0नि0वि0 पिथौरागढ के नियुक्ति आदेश सं0-1639/63ईवी-03/2015 दिनांक 19.05.2015 के अनुसार श्रीमती भगवती मेहरा, क0सहा0 की ज्येष्ठता कु0 कविता, कनिष्ठ सहायक (ज्येष्ठता क्र0-1183 पर) की नियुक्ति तिथि दिनांक 16.05.2015 के अनुसार उनके बाद निर्धारित की जानी थी। तदक्रम में इस कार्यालय के ज्ञाप पत्र दिनांक 13.07.2020 द्वारा जारी अन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-1182 व 1183 पर उल्लिखित कार्मिकों की परस्पर ज्येष्ठता उनकी कनिष्ठ सहायक के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि के अनुसार तालिका के कालम-06 पर अनन्तिम ज्येष्ठता क्रमांक निम्नवत् निर्धारित किये जाते हैं:-

क्रम सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	कनिष्ठ सहायक का नाम	नियुक्ति आदेश	कनिष्ठ सहायक में नियुक्ति तिथि	अब संशोधित/अनन्तिम ज्येष्ठता क्रमांक
1	2	3	4	5	6
1-	1182	श्रीमती भगवती मेहरा	अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त पिथौरागढ के आदेश सं0-1639/63ईवी-03/15 दिनांक 19.05.2015	19.05.2015	1183
2-	1183	कु0 कविता	मुख्य अभियन्ता, (ग0क्षे0) पौड़ी के आदेश सं0- 808(1)/02 व्यख (7वां वृत्त)- ग0क्षे0/13 दिनांक 16.05.2015	16.05.2015	1182

उक्त सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 अल्मोडा के पत्र सं0-6140/635व्यग-अ0/2020 दिनांक 23.09.2020 द्वारा श्री संजय कापडी, कनिष्ठ सहायक, प्रा0ख0 लो0नि0वि0 पिथौरागढ का नाम खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग की ज्येष्ठता सूची में अंकित करने सम्बन्धी श्री कापडी, कनिष्ठ सहायक का प्रार्थना पत्र दिनांक 18.09.2020 मूल में अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया है। जिसमें अवगत कराया है कि श्री कापडी को पूर्व में प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 देहरादून के पत्र सं0-577/196व्यख-सा0(2)/2015 दिनांक 28.06.2017 द्वारा खण्डीय संवर्ग से संवर्ग परिवर्तित कर मुख्य अभियन्ता संवर्ग में विलय करते हुए तत्कालीन मुख्य अभियन्ता कार्यालय लो0नि0वि0 पिथौरागढ में तैनाती दी गयी थी तदोपरान्त श्री कापडी के अनुरोध एवं तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 पिथौरागढ की संस्तुति के आधार प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 देहरादून के पत्र सं0-117/196व्यख-सा0(2)/2015 दिनांक 14.02.2020 द्वारा श्री कापडी का मुख्य अभियन्ता संवर्ग से संवर्ग परिवर्तित करते हुए खण्डीय संवर्ग के मूल पद पर पद परिवर्तित करते हुए प्रा0ख0, लो0नि0वि0 पिथौरागढ में तैनाती दी गयी है। उक्त क्रम में श्री कापडी, कनिष्ठ सहायक द्वारा वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड-2 के भाग दो से चार के मूल नियम 14(ख) एवं नियम 15(क)(ख) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार उनकी खण्डीय संवर्ग में नियुक्ति तिथि दि0-15.05.2015 से ज्येष्ठता का प्रदान करते हुए ज्येष्ठता निर्धारित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लो0नि0वि0 पिथौरागढ के ज्ञाप सं0-1612/63ईवी-03/15 दिनांक 15.05.2015 द्वारा श्री संजय कापडी की कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति खण्डीय संवर्ग में प्रा0ख0, लो0नि0वि0 पिथौरागढ में की गई थी। तत्पश्चात् श्री संजय कापडी के प्रार्थना पत्र दि0- 30.05.2015 द्वारा किये गये अनुरोध पर इस कार्यालय

क्रमशः 2 पर



के ज्ञाप सं०- 577/196व्यख-सा०(2)/15 दिनांक 28.06.2017 द्वारा खण्डीय संवर्ग से मुख्य अभियन्ता संवर्ग में संवर्ग परिवर्तित किया गया था। पुनः श्री कापडी के अनुरोध पर तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि० पिथौरागढ़ द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर इस कार्यालय के ज्ञाप सं०-117/196व्यख-सा०(2)/2015 दिनांक 14.02.2020 द्वारा श्री संजय कापडी, कनिष्ठ सहायक का मुख्य अभियन्ता संवर्ग से संवर्ग परिवर्तन करते हुए तैनाती खण्डीय संवर्ग के अन्तर्गत प्रा०ख०, लो०नि०वि० पिथौरागढ़ में की गयी है।

वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड-2 के भाग दो से चार के मूल नियम 14(ख) एवं नियम 15(क)(ख) में निहित प्राविधान के अनुसार श्री संजय कापडी, कनिष्ठ सहायक का मुख्य अभियन्ता संवर्ग से खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में संवर्ग परिवर्तित करते हुए अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त पिथौरागढ़ के नियुक्ति आदेश दिनांक 15.05.2015 के आधार पर खण्डीय मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों की ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-1181 पर अंकित श्री लक्ष्मण सिंह, कनिष्ठ सहायक (नियुक्ति तिथि दिनांक 25.04.2015) के नाम के पश्चात् तथा उपरोक्तानुसार संशोधित/अनन्तिम ज्येष्ठता सूची क्रमांक-1182 पर अंकित कु० कविता, कनिष्ठ सहायक (नियुक्ति तिथि दि० 16.05.2015) के नाम से पूर्व ज्येष्ठता क्रमांक- 1181 (ए) पर श्री कापडी की ज्येष्ठता निर्धारित की जानी है।

अतः उपरोक्तानुसार खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग की ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-1182 व 1183 पर अंकित कार्मिकों की पारस्परिक ज्येष्ठता संशोधित करते हुए तथा ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-1181 पर अंकित श्री लक्ष्मण सिंह, कनिष्ठ सहायक (नियुक्ति तिथि दि० 25.04.2015) के नाम के पश्चात् तथा उपरोक्त संशोधित/अनन्तिम ज्येष्ठता सूची क्रमांक-1182 पर अंकित कु० कविता, कनिष्ठ सहायक (नियुक्ति तिथि दि० 16.05.2015) के नाम से पूर्व ज्येष्ठता क्रमांक- 1181 (ए) पर श्री संजय कापडी, कनिष्ठ सहायक की ज्येष्ठता निर्धारित करते हुए अनन्तिम ज्येष्ठता सूची इस आशय के साथ प्रचारित की जा रही है कि यदि उक्त ज्येष्ठता निर्धारण से किसी कार्मिक को अपनी ज्येष्ठता के बारे में कोई आपत्ति हो तो उक्त कार्मिक दिनांक-10.11.2020 तक अपना प्रत्यावेदन सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता की संस्तुति सहित तथा एक अग्रिम प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराये। उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होंगे तथा निर्धारित अवधि तक प्राप्त प्रत्यावेदनों पर सम्यक विचारोपरान्त श्रीमती भगवती मेहरा, क०सहा०, कु० कविता, कनिष्ठ सहायक एवं श्री संजय कापडी, कनिष्ठ सहायक की अन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित कर दी जायेगी।

संलग्न-यथोपरि।

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि० अल्मोड़ा/हल्द्वानी/पौड़ी/देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता, रा०मा०/ए०डी०बी०/पी०एम०जी०एस०वाई०, लो०नि०वि०, देहरादून/हल्द्वानी/अल्मोड़ा।
- 3- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड लो०नि०वि०
- 4- समस्त अधिशासी अभियन्ता, प्रा०/नि०/अ०/वि०या०/रा०मा०/ए०डी०बी०/पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०.....
को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संलग्नक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची अपने अधीनस्थ खण्डों में कार्यरत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कार्मिकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न- यथोपरि।

- 5- अधिशासी अभियन्ता, आई०टी० सेल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को इन निर्देशों के साथ प्रेषित कि उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 6- सम्बन्धित कार्मिक, श्री.....।

29/10/20
मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान)
26/10/20

पत्रांक-577/10(1)व्यग-अधि0-उ0/20 दिनांक-29/10/2020 का संलग्नक (अनन्तिम ज्येष्ठता सूची)-

क0सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	कनिष्ठ सहायक का नाम	पिता/पति का नाम	जाति	जन्मतिथि	विभाग में (कनिष्ठ सहायक के पद पर) मौलिक नियुक्ति की तिथि	खण्डीय मिनिस्टीरियल संवर्ग में नियुक्ति का सन्दर्भ	तैनाती खण्ड का नाम	भर्ती का स्रोत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	1181	श्री लक्ष्मण सिंह	पुत्र स्व0 श्री कर्ण सिंह	सामान्य	25.05.92	25.04.15	मुख्य अभियन्ता, क्षे0 का0 पौड़ी के ज्ञाप सं0-1049/2 व्यख (7वाँ वृत्त) ग0क्षे0/13 दि0 25.04.15	प्रा0ख0 कर्णप्रयाग	मृतक आश्रित
2-	1181 (ए)	श्री संजय कापडी	पुत्र स्व0 श्री लीलाधर कापडी	सामान्य	04.12.95	15.05.15	अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त पिथौरागढ के ज्ञाप सं0-1612/ 63ईवी -03/15 दिनांक 15.05.2015	प्रा0ख0 पिथौरागढ	मृतक आश्रित
3-	1182	कु0 कविता	स्व0 श्री रणजीत सिंह	अनु0 जनजाति	05.04.88	16.05.15	मुख्य अभियन्ता, क्षे0 का0 पौड़ी के ज्ञाप सं0-808(1)/2 व्यख (7वाँ वृत्त) ग0क्षे0/13 दि0 16.05.15	प्रा0ख0 गोपेश्वर	मृतक आश्रित
4-	1183	श्रीमती भगवती मेहरा	पत्नी स्व0 श्री दान सिंह महारा	सामान्य	26.06.79	19.05.15	अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त पिथौरागढ के पत्र संख्या -1639/63 ई0वी0 -3 दिनांक -19.05.15	अ0ख0 बेरीनाग	मृतक आश्रित
5-	1184	श्रीमती गीता जोशी	पत्नी स्व0 श्री गिरीश चन्द्र	सामान्य	20.05.80	21.05.15	अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, रुद्रपुर के कार्यालय ज्ञाप सं0-1180/ 6व्यख- 04/14 दि0 21.05.2015	प्रा0ख0 रुद्रपुर	मृतक आश्रित

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान)
29/10/2020